



87

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2014 पुनरीक्षण R3969/III/2014

1. श्रीमती पूनम भारती पति स्व. श्री प्रभाष भारती
2. इषिता भारती पिता स्व. श्री प्रभाष भारती
3. नमन भारती पिता स्व. श्री प्रभाष भारती

2 एवं 3 दोनो नाबालिक की वली

माता श्रीमती पूनम भारती पति स्व. श्री प्रभाष भारती
(4) बापेश कुमार कुशुआदीलाल भारती
समस्त निवासीगण पड़ावा तहसील व जिला-खण्डवा

विरुद्ध

काजी सैय्यद शब्बीर हसन पिता काजी सैय्यद
इकराम उल्लाह (मृतक) निवासी-परदेशीपुरा
तहसील व जिला-खण्डवा द्वारा ब्राह्मण

मुफ्त वेलापुरा 15
1/12/14
172-14

श्रीमती निवात डातम पाविरव रैम सैय्यद इफान हसन पिता सैय्यद शब्बीर हसन

बुरहानपुर जिला-बुरहानपुर
अनुविभागीय अधिकारी जिला-खण्डवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 185/अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 12-09-2014 को म.प्र. मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-8 के अंतर्गत प्रदत्त अधीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर अपास्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र.

महोदय,
आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है-


संक्षिप्त तथ्य-

1. यह कि, प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक-987/1 एवं 987/2 स्थित ग्राम खण्डवा तरफ कुनबी पर नामांतरण किये जाने हेतु अलावेदक ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था तहसीलदार ने दिनांक 12-09-2014 को अनुविभाग का नामांतरण स्वीकार किया
2. यह कि अनुविभाग ने अलावेदक के आवेदन को मान्यता देने का अनुदेश जारी किया था तहसीलदार ने अलावेदक के आवेदन को मान्यता देने का अनुदेश जारी किया था तहसीलदार ने अलावेदक के आवेदन को मान्यता देने का अनुदेश जारी किया था

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3969-तीन/2014 जिला खण्डवा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> अध्यक्ष</p>	